न्यायालय अपर कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री राकेश कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 14/2018

अपीलांट		रेस्पोडेंट
निम्बाराम पुत्र श्री मोहनलाल जाति लोहार निवासी जाखड़ा तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर	बनाम	तहसीलदार गिड़ा, जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश क्रमांक :राजस्व/2017/391 दिनांक 19.04.2017 जो तहसीलदार गिड़ा द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति–

1. श्री राजेन्द्र शर्मा व श्री पूंजराज बामणिया, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से बवक्त बहस उपस्थित।
2. राजकीय पैरोकार रेस्पोडेंट की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक 20.08.2018

1. संक्षेप में अपीलान्ट की अपील के तथ्य यह हैं कि अपीलांट की खातेदारी भूमि मौजा जाखड़ा के खसरा नंबर 335/143 रकबा 30 बीघा तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर में आई हुई है। अपीलांट ने अपनी खातेदारी की उक्त भूमि मे से 03 बिस्वा भूमि टांका निर्माण हेतु सरपंच ग्राम पंचायत के सलाह अनुसार समर्पण करवाने हेतु कागजात तहसीलदार गिड़ा के समक्ष प्रस्तुत किये। तहसीलदार गिड़ा के समक्ष प्रस्तुत समर्पण विलेख मे अपीलांट के खातेदारी की भूमि मे से 17 बिस्वा भूमि का उल्लेख कर नजरी नक्शा मे उक्त भूमि रास्ते के रूप मे प्रस्तावित करते हुए समर्पण विलेख अपीलाधीन आदेश क्रमांक: राजस्व/2017/391 दिनांक 19.04.2017 के द्वारा स्वीकार कर लिया गया।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

अपीलांट ने सरपंच ग्राम पंचायत के समक्ष भूमि समर्पण के पश्चात टांका निर्माण हेतु सम्पर्क किया तो टालमटोल करते रहे तथा अर्सा कुछ समय पहले जब अपीलांट ने अपनी भूमि पर ऋण प्राप्त करने हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क किया तो ज्ञात हुआ कि उसकी 03 बिस्वा के स्थान पर 17 बिस्वा भूमि रास्ते के रूप मे कटाण कर दी गई है। इस प्रकार अपने साथ हुई धोखाधड़ी की जानकारी होने पर अपीलांट ने उक्त समर्पण आदेश की प्रमाणित प्रतियॉ प्राप्त की तब उसे इस अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.04.2017 की जानकारी हुई। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस न्यायालय के समक्ष पेश की है। अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश का पूर्व में ज्ञान नहीं होने से जानकारी की तिथि से अपील को अंदर म्याद शुमार करने हेतु धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र भी पेश किया।

2. हमने अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोडेंट को सम्मन जारी कर अपीलाधीन अभिलेख तलब किया। रेस्पोडेंट की ओर से दौरान सुनवाई पैरोकार सरकार उपस्थित।

3. हमने अपीलांट के योग्य अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अपीलांट एक अनपढ व्यक्ति है जिसे वास्तविकता से अन्धेरे मे रखते हुए टांका निर्माण कराने हेतु 03 बिस्वा जमीन समर्पण करने का कहकर रास्ते के लिए 17 बिस्वा भूमि समर्पण करवा ली गई। अपीलांट की प्रश्नगत भूमि बैंक के पास रहन होने से अपीलांट ने सरपंच ग्राम पंचायत के कहने से बैंक से टांका निर्माण हेतु 03 बिस्वा भूमि समर्पण करने की अनापत्ति भी जारी करवाई किन्तु उसमे कांट–छांट कर टांका के स्थान पर रास्ता अंकित कर धोखाधड़ी कर दी गई। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि अपीलांट के अनपढ एवं भोलेपन का फायदा उठाकर हल्का पटवारी एवं सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा 17 बिस्वा भूमि भी समर्पण करवा दी तथा टांका निर्माण भी स्वीकृत नही करवाया गया। सरपंच ग्राम पंचायत ने अपने चहेतो को लाभ पहुंचाने की नियत से अपीलांट की भूमि का गलत समर्पण करवाया जबकि अपीलांट ने रास्ते के बाबत अपनी

न्यायालय अपर कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

स्वतंत्र सहमति से भूमि का समर्पण नही करवाया है। हल्का पटवारी द्वारा उक्त धोखे से समर्पण करवाई गई भूमि की तरमीम भी रास्ते के रूप मे कर दी गई है जबकि मौके पर कोई रास्ता विद्यमान नही है तथा मौके पर आज भी अपीलांट का ही निर्बाध कब्जा एकल चक के रूप मे मौजूद है। रेस्पोडेंट द्वारा धोखे से रास्ते के रूप मे समर्पण की गई भूमि से अपीलांट को बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है।

4. रेस्पोडेंट की ओर से उपस्थित पैरोकार सरकार ने जवाब मे प्रकट किया कि अपीलांट ने दो गवाहान के रूबरू अपनी खातेदारी भूमि का समर्पण विलेख तहसीलदार गिड़ा के समक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर हल्का पटवारी से मौका रिपोर्ट प्राप्त कर सम्पूर्ण जानकारी एवं जांच पश्चात अपीलांट की सहमति से बिना शर्त भूमि का समर्पण विलेख स्वीकार किया गया है। इस समर्पण स्वीकृति आदेश की अपीलांट को प्रारम्भ से जानकारी रही है लिहाजा यह अपील म्याद बाहर होने के साथ–साथ सहमति से निष्पादित विलेख के विरूद्ध मेंटेनेबल नही होने से खारिज योग्य है जो खारिज फरमाई जावें।

5. हमने अपीलांट के अधिवक्ता एवं पैरोकार सरकार के कथनो पर मनन किया तथा पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता का मुख्य कथन यह है कि अपीलांट अनपढ खातेदार है जिसे राजस्व नियमों एवं प्रक्रिया की जानकारी नही है। अपने खातेदारी के खेत मे पेयजल हेतु टांका निर्माण हेतु सरपंच ग्राम पंचायत से सम्पर्क करने पर उसे 03 बिस्वा भूमि समर्पण करवाने की सलाह दी गई। इस पर अपीलांट ने अपनी रहनशुदा खातेदारी भूमि मे से टांका निर्माण हेतु भूमि समर्पण करवाने हेतु स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा गिड़ा से अनापति जारी करने का निवेदन किया। शाखा प्रबंधक द्वारा उक्त भूमि को टांका निर्माण हेतु भूमि समर्पण करने की सहमति जारी कर दी थी किंतु बाद मे उसमे हल्का पटवारी ने कांट–छांट कर टांका के स्थान पर रास्ता अंकित कर दिया। इस प्रकार प्राथमिक तौर पर धोखाधड़ी प्रारम्भ की गई जिसके पश्चात जो समर्पण विलेख का स्टाम्प लिया गया है उसमे भी खाली फार्म मुद्रित करवाकर अपीलांट से हस्ताक्षर करवाने के बाद उसमे समर्पण योग्य रकबा अंकित किया गया है। तहसीलदार गिड़ा

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

द्वारा उक्त समर्पण के बाबत अपीलांट से पूछताछ की तो अपीलांट ने 03 बिस्वा भूमि टांका निर्माण हेतु ही समर्पण करने की बात की थी लेकिन अपीलांट की भावना को दर किनार कर सरपंच के कहे अनुसार बिना तथ्यों की जानकारी व जांच किये ही उसी दिन समर्पण विलेख स्वीकार कर लिया। इस प्रकार अनपढ अपीलांट के भोलेपन का नाजायज फायदा उठाकर निष्पादित करवाया गया समर्पण दस्तावेज एवं समर्पण स्वीकृति आदेश बहाल रखे जाने योग्य नही है। अपीलांट की यह अपील मयाद के बिन्दु पर उल्लिखित परिस्थितियों के मध्यनजर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए स्वीकार की जाकर अपीलाधीन समर्पण स्वीकृति आदेश निरस्त फरमाया जावें। इस प्रकार अपीलांट के अधिवक्ता के उक्त कथनों के विपरित पैरोकार सरकार की ओर से कोई ठोस तथ्यात्मक प्रत्युत्तर नही दिया गया है। अपीलांट के कथन की ताईद बैक द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र मे कांट-छांट से स्पष्ट परिलक्षित हो रही है जिसमे मुद्रित रूप मे टांका निर्माण लिखा गया है जबकि उसे काट कर रास्ता अंकित किया गया है। इसके अलावा अपीलांट ने जब समर्पण विलेख प्रस्तुत किया है उसी दिन तहसीलदार के आदेश के बिना ही हल्का पटवारी ने अपनी मौका जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, इससे भी इस बात की ताईद होती है कि इस जालसाजी मे हल्का पटवारी की भूमिका संदिग्ध प्रतीत हो रही है। यद्यपि अपीलाधीन आदेश अपीलांट की उपस्थिति मे पारित किया गया अंकित है किन्तु वास्तविक रूप से उसके विश्वास एवं संज्ञान से परे होना प्रतीत होता है क्योंकि अनपढ होने से उसे यही भान रहा है कि टांका निर्माण हेतु केवल 03 बिस्वा भूमि का ही समर्पण करवाया है। ऐसे मे वास्तविकता की जानकारी होने पर प्रस्तुत अपील को अन्दर म्याद शुमार की जाकर विलम्ब को सद्भाविक मानते हुए क्षमा किया जाना न्यायहित मे है। इसके अलावा भी मौके पर किसी प्रकार का रास्ता कदीमी तौर पर चालू नही होते हुए भी हल्का पटवारी ने अपीलांट की भूमि मे से बिना उसे कोई प्रतिफल अदा करवाये, उसे धोखे मे रखकर नया रास्ता कायम करने हेतु भूमि समर्पण करवाया है। विधि का यह सारभूत सिद्धान्त है कि कोई भी सहमति, उसे प्रकट करने वाले अथवा देने वाले की सम्पूर्ण एवं स्वतंत्र सहमति आवश्यक है तथा छल-कपट से

न्यायालय अपर कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

करवाई गई सहमति आत्यन्तिक नही मानी जानी चाहिए तथा इसके परिणामिक रूप से जारी होने वाले आदेश निष्प्रभावी माने जावेंगे। हस्तगत प्रकरण मे अपीलांट के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भली–भांति साबित हो रहा है कि अपीलांट की ओर से 17 बिस्वा भूमि समर्पण करने की उसकी कोई स्वतंत्र सहमति नही रही है। इस आधार पर अपीलाधीन आदेश छल एवं कपट प्रवंचना से निष्पादित दस्तावेज की निरंतरता मे जारी किया गया होने से बहाल रखे जाने योग्य नही है।

6. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के फलस्वरूप अपीलांट की यह अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार गिड़ा द्वारा ग्राम जाखड़ा के खसरा नम्बर 335 / 143 रकबा 30 बीघा मे से 17 बिस्वा भूमि समर्पण हेतु पारित किया गया अपीलाधीन समर्पण स्वीकृति आदेश क्रमांकः राजस्व / 2017 / 391 दिनांक 19.04.2017 अपास्त किया जाता है।

7. निर्णय आज दिनांक 20.08.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अपर कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

(राकेश कुमार)
अपर कलक्टर, बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)